छात्रों के क्षेत्र भ्रमण (कैलीफोर्निया से बाहर) का अधिकृतीकरण

जब तक क्षेत्र भ्रमण से कम से कम 14 दिन पहले यह पूरा नहीं किया जाता और हस्‍ताक्षरित अधिकृतीकरण पर्यवेक्षी शिक्षक, प्रायोजक, या स्‍कूल के मुख्‍य कार्यालय के पास जमा नहीं किया जाता, तब तक किसी भी छात्र को क्षेत्र भ्रमण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मौखिक अधिकृतीकरणों, विलम्‍ब से प्राप्‍त अधिकृतीकरणों, या इससे भिन्‍न फार्म पर अधिकृतीकरणों को स्‍वीकार नहीं किया जा सकता है।

|  |  |
| --- | --- |
| छात्र का नामः | पता: |
| ग्रेड: | जन्‍म की तारीख: |
| स्‍कूल: | घर का टेलीफोन: |
| आपातकालीन सम्‍पर्क एवं टेलीफोन नं.: | |

|  |  |
| --- | --- |
| क्षेत्र भ्रमण का गंतव्‍य: |  |
| भ्रमण की तारीख: |  |
| पर्यवेक्षी शिक्षक: |  |
| चिकित्‍सा स्‍थितियां/दवाएं |  |

नीचे हस्‍ताक्षर करके, संबंधित क्षेत्र भ्रमण में भाग लेने की योजना बनाने वाले छात्र के अधिकृत माता-पिता या अभिभावक निम्‍नानुसार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं:

1. इस क्षेत्र भ्रमण, जो आंशिक रूप से या अनन्‍य रूप से कैलीफोर्निया के बाहर होगा, में भागीदारी स्‍वैच्‍छिक है तथा एक सुविधा है। मेरा अनुरोध है कि पर्यवेक्षी शिक्षक/प्रायोजक और प्रौढ़ संरक्षिकाओं के पर्यवेक्षण में छात्र को क्षेत्र भ्रमण में भाग लेने की अनुमति दी जाए। क्षेत्र भ्रमण शुरू होने से पूर्व मुझे तथा छात्र को स्‍वीकार्य समझी गई ऐसी सभी व्‍यवस्‍थाओं और गतिविधियों के साथ, परिवहन, लाजिंग और क्षेत्र भ्रमण की गतिविधियां समझाई जाएंगी।
2. क्षेत्र भ्रमण आरंभ होने से पूर्व, किसी सद्विश्वास के कारण से, क्षेत्र भ्रमण किसी भी समय निरस्‍त किया जा सकता है। अनियोजित या अप्रत्‍याशित परिस्‍थितियों के कारण क्षेत्र भ्रमण शुरू हो जाने के बाद भी यह अवरूद्ध या समाप्‍त हो सकता है। इस प्रकार के निरसन, अवरोध या जल्‍दी समापन के फलस्‍वरूप इसके निदेशकों, अधिकारियों, शिक्षकों, संरक्षिकाओं या एजेंटों के विरूद्ध कार्रवाई की शरण लेने या कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे मामले जिला के, या क्षेत्र भ्रमण शुरू हो जाने पर पर्यवेक्षी शिक्षक या जिला के इकलौते एवं अनन्‍य विवेक से निर्धारित किए जाते हैं।
3. कानूनन, क्षेत्र भ्रमण में छात्र की भागीदारी की लागत में जिला किसी भी रूप में वित्‍तीय योगदान नहीं कर सकता है। छात्र को क्षेत्र भ्रमण से जुड़े सभी खर्चों के लिए पर्याप्‍त वित्‍त का सुनिश्‍चय करने की आवश्‍यकता होगी जिसमें परिवहन, लॉजिंग, भोजन, प्रवेश शुल्‍क और आनुषंगिक व्‍यय शामिल हैं, लेकिन किसी भी रूप में इतने तक ही सीमित नहीं है। यद्यपि धन जुटाने की गतिविधियां जिला द्वारा प्राधिकृत हो सकती हैं, जिनसे छात्र को क्षेत्र भ्रमण की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्‍त धन जुटाने में सहायता की जा सके, लेकिन जिला न तो आश्वासन देता है और न ही अभिवेदन करता है कि यह ऐसी गतिविधियों को अधिकृत करेगा, या यह कि इन गतिविधियों के फलस्‍वरूप छात्र के क्षेत्र भ्रमण की लागत एवं व्‍यय वहन करने के लिए पर्याप्‍त धन एकत्रित होगा।
4. अपेक्षित जमा राशि, यात्रा के लिए अग्रिम भुगतान, लॉजिंग, या अन्‍य क्षेत्र भ्रमण गतिविधियां या पूर्व-संदत्‍त व्‍यय अप्रत्‍यर्पणीय हैं जब तक कि जिला (न कि पर्यवेक्षी शिक्षक या संरक्षिका) द्वारा इस क्षेत्र भ्रमण के लिए उल्‍टी नीति व्‍यक्‍त करने वाला कोई पहले से व्यक्त लिखित बयान न हो। जिन मामलों में छात्र ने नियोजित क्षेत्र भ्रमण से छात्र के हटने की सूचना समय पर प्रदान की है, तथा क्षेत्र भ्रमण के अन्‍य प्रतिभागियों को हानि या दिक्‍कत के बिना अग्रिम में किया गया व्‍यय (अप्रत्‍यर्पणीय जमा राशि से भिन्‍न) वसूला जा सकता है, ऐसी राशि छात्र को लौटाई जाएगी।
5. जिले के स्‍वामित्‍व वाले या जिला द्वारा प्रचालित वाहनों के द्वारा परिवहन की व्‍यवस्‍था नहीं होगी। इस प्रकार के परिवहन में (खास क्षेत्र भ्रमण और परिस्‍थितियों के आधार पर) वाणिज्‍यिक हवाई जहाज, बसें, सबवे, टैक्‍सियां, ट्रेन, नौकाएं, फेरीज, वैन या ऐसे अन्‍य वाहन शामिल हो सकते हैं जो संघीय, राज्‍य, स्‍थानीय या जिला के सुरक्षा मानकों या अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, तथा जिन पर जिले का सीधा नियंत्रणाधिकार नहीं है। ऐसे परिवहन के संबंध में सुरक्षा या उपयुक्‍तता की कोई वारंटी या गारंटी मौजूद नहीं है।
6. छात्र से क्षेत्र भ्रमण के सभी नियमों एवं सुरक्षा अपेक्षाओं, जिला और स्‍कूल की सभी आचार संहिताओं, कैलीफोर्निया राज्‍य के सभी कानूनों (भले ही क्षेत्र भ्रमण इस राज्‍य से बाहर का होगा), और किसी अन्‍य राज्‍य या देश जिसमें क्षेत्र भ्रमण होगा, के सभी कानूनों का पालन करने की अपेक्षा है। छात्र हमेशा सभी व्‍यक्‍तियों, निकायों और उनकी सम्‍पत्‍ति के प्रति अधिकतम सम्‍मानपूर्ण आचरण करेगा। वास्‍तविक या संभावित नुकसान से स्‍वयं की रक्षा करने के लिए सभी तर्कसंगत और उपयुक्‍त कदम उठाना छात्र का कर्तव्‍य है, तथा वह अपनी सुरक्षा या दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कोई कदम नहीं उठाएगा। छात्र को चाहिए कि वह पर्यवेक्षी शिक्षक या किसी प्रौढ़ संरक्षिका को ऐसे किसी तथ्‍य, परिस्‍थिति या स्‍थिति की तत्‍काल सूचना दे, जो छात्र या क्षेत्र भ्रमण के किसी अन्‍य प्रतिभागी को नुकसान या चोट पहुंचाने का संभावित खतरा प्रस्‍तुत कर सकती है।
7. चूंकि कैलीफोर्निया के कानून और लागू आचार संहिताएं छात्र की क्रियाओं पर अभी भी लागू होंगी, छात्र किसी गतिविधि में लिप्‍त नहीं होगा भले ही दूसरे राज्‍य या देश के कानून छात्र को अन्‍यथा ऐसी गतिविधियों में लिप्‍त होने की अनुमति दें। इसमें अल्‍कोहल का सेवन या धूम्रपान शामिल होगा, परंतु किसी भी रूप में इतने तक ही सीमित नहीं होगा।
8. मैं समझता हूँ तथा सहमत हूँ कि क्षेत्र भ्रमण के इन नियमों और सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करने में छात्र की विफलता के फलस्‍वरूप छात्र को क्षेत्र भ्रमण से अपेक्षित तारीख के पहले घर भेजा जा सकता है। यह सुनिश्‍चित करने के लिए मैं जिम्‍मेदार होऊँगा कि ऐसी परिस्‍थितियों में छात्र की घर वापसी के लिए जिला द्वारा निर्धारित सबसे त्‍वरित एवं उपयुक्‍त तरीके से, मेरे खर्च पर आगमन के स्‍थान (निकटतम हवाई अड्डा, ट्रेन स्‍टेशन, बस टर्मिनल) से छात्र को समय से ले जाया जाए। जल्‍दी घर वापसी के अलावा, छात्र को भावी क्षेत्र भ्रमणों से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है तथा वह अन्‍य अनुशासनिक कार्रवाईयों का सामना कर सकता है।
9. यह क्षेत्र भ्रमण कैलीफोर्निया शिक्षा संहिता की धारा 35330 के अनुसरण में संचालित किया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि: ''क्षेत्र भ्रमण या सैर करने वाले सभी व्‍यक्‍तियों को क्षेत्र भ्रमण या सैर के दौरान या इसके कारण चोट, दुर्घटना, बीमारी, या मृत्‍यु के लिए जिला या कैलीफोर्निया राज्‍य के विरुद्ध सभी दावों का परित्‍याग कर देने वाला समझा जाएगा।'' यह क्षेत्र भ्रमण अधिकृतीकरण निष्‍पादित करके, मैं समझता हूँ तथा सहमत हूँ कि न तो मैं और न ही छात्र या कोई अन्‍य व्‍यक्‍ति (माता-पिता, अभिभावक, न्‍यासी, उत्‍तराधिकारी, निष्‍पादक, प्रशासक, अधिन्‍यासी) जिला, इसके अधिकारियों, एजेंटों, कर्मचारियों, स्‍वयंसेवकों या संरक्षिकाओं को इस क्षेत्र भ्रमण में छात्र की भागीदारी से उत्‍पन्‍न या इससे किसी रूप में कानूनी या तथ्‍यगत रूप में संबद्ध किसी वास्‍तविक या संभावित दावे के लिए उत्‍तरदायी नहीं ठहरा सकता है। संभावित दावों के इस विमोचन और अधिकारों के परित्‍याग पर कैलीफोर्निया का कानून लागू होता है, जो क्षेत्र भ्रमण के इस अधिकृतीकरण के निर्वचन और अनुप्रयोग पर अनन्‍य रूप से लागू होगा।
10. छात्र के संबंध में आपातकालीन चिकित्‍सा सूचना जिले के पास फाइल में है और यह नवीनतम है। (यदि आवश्‍यक हो, तो भ्रमण से पूर्व नवीनतम सूचना उपलब्‍ध कराएं)। यदि क्षेत्र भ्रमण के दौरान चोट लग जाती है या चिकित्‍सकीय आपात स्‍थिति उत्‍पन्‍न हो जाती है, तो तात्‍कालिक या आपातकालीन देखरेख का प्रबंध करने या प्रबंध करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए पर्यवेक्षी शिक्षक, या संरक्षिका को मेरी व्यक्त अनुमति है, जिसमें छात्र को किसी तात्‍कालिक देखरेख या आपातकालीन देखरेख प्रदाता के पास ले जाना तथा ऐसी अन्‍य एवं अगली चिकित्‍सा देखरेख, सावधानी, दवा (नुस्‍खे की या ओवर-दी-काउंटर दवा) प्रदान करना या अधिकृत करना शामिल है जो उन परिस्‍थितियों में चिकित्‍सकीय दृष्‍टि से अधिकृत हो या समीचीन हो। ऐसी परिस्‍थितियों में, मुझे और/या चोट या चिकित्‍सकीय आपात स्‍थिति के आपातकालीन सम्‍पर्क-सूत्र को सूचना देने में विलम्‍ब हो सकता है। इसलिए, किसी तर्कसंगत या उपयुक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य देखरेख प्रदाता को उन नैदानिक या संवेदनाहारी प्रक्रियाएं संचालित करने का, और/या चिकित्‍सा देखरेख या उपचार (सर्जरी और दवाओं के प्रयोग सहित) उपलब्‍ध कराने का मेरा व्यक्त प्राधिकार है, जो वे सभी विद्यमान परिस्‍थितियों में उपयुक्त या आवश्‍यक समझें। इस प्रकार की देखरेख से जुड़ी सभी लागत और खर्च केवल मेरी जिम्‍मेदारी है।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| मुद्रित नाम | हस्‍ताक्षर | | तारीख |
| स्‍कूल द्वारा प्राप्‍त किए जाने की तारीख: | | प्राप्‍तकर्ता: | |